POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 07.11.2023

1.थाना बिसरख पुलिस द्वारा आपस मे मारपीट कर बलवा करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 07.11.2023 को अभियुक्त 1.नूरहसन पुत्र अलीजान 2.सचिन बैसला पुत्र सत्यवीर बैसला 3.संजय पुत्र सुरेश सोलंकी 4.हरीश डोगरा पुत्र अशोक शर्मा 5.बादल पुत्र नूरहसन 6.देवेन्द्र पुत्र सुरेश सोलंकी व अन्य अज्ञात द्वारा सरस्वती कुंज जीडीए कॉलोनी मे बाजार लगाने को लेकर आपस मे एक दूसरे को जान से मारने की नियत से लाठी डंडो से आपस मे प्रहार करने लगे और मौके पर चौकी प्रभारी, गौर सिटी-2 द्वारा मय पुलिस बल के साथ दोनो पक्षो को रोकना चाहा परन्तु वह नही रुके जिसपर पर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को हिरासत मे लेकर मेडिकल परीक्षण कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 929/2023 धारा 147/148/323/307/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया। **दिनांक 07.11.2023** को थाना बिसरख पुलिस द्वारा मौके से अभियुक्त 1.नूरहसन पुत्र अलीजान 2.सचिन बैसला पुत्र सत्यवीर बैसला 3.संजय पुत्र सुरेश सोलंकी 4.हरीश डोगरा पुत्र अशोक शर्मा को **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. नूरहसन पुत्र अलीजान निवासी सुदामापुरी, थाना क्रोसिंग रिप्बलिक, जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।
2. सचिन बैसला पुत्र सत्यवीर बैसला निवासी ग्राम खेडा बलरामपुर, थाना परतापुर, जनपद मेरठ वर्तमान पता न्यू अशोक नगर, दिल्ली उम्र 30 वर्ष।
3. संजय पुत्र सुरेश सोलंकी निवासी ग्राम कसेरु, थाना खुर्जी देहात, वर्तमान पता जीडीए कॉलोनी डी 18, थाना बिसरख उम्र 23 वर्ष।
4. हरीश डोगरा पुत्र अशोक शर्मा निवासी न्यू कोण्डली दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।

अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 929/2023 धारा 147/148/323/307/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।